

## Protection For Bank Depositors

Bank Deposits upto Rs. 5,00,000/- in respect of each depositor are fully protected by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation under the deposit Insurance Scheme. The Scheme covers all commercial banks (including Regional Rural Banks) operating in India and also co-operative banks in States and Union Territories to which the Scheme has been extended by the Central Government. These banks are registered as insured banks with the Corporation.

The Corporation's liability in respect of insured deposits will arise in the following cases:

If a bank goes into liquidation: The Corporation will arrange to pay every depositor directly or through the liquidator the amount due to him under the insurance scheme.

If a bank is reconstructed or amalgamated with another bank and the scheme of reconstruction or amalgamation does not entitle a depositor to get credit for the full amount of his deposit: The Corporation will arrange to pay the reconstructed bank or the amalgamated bank an amount equivalent to the shortfall between the amount due to the depositor under the insurance scheme and the amount of credit received by him under the scheme of reconstruction or amalgamation.

### DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION, MUMBAI.

## बैंक के जमाकर्ताओं की सुरक्षा

प्रत्येक जमाकर्ता के पक्ष में रु. 5,00,000 तक की बैंक में जमा राशि डिपॉजिट इश्योरंस स्कीम के अंतर्गत डिपॉजिट बीमा ऐंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। इस योजना में भारत में कार्यरत सभी व्यावसायिक बैंक (प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों समेत) और साथ ही राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहकारी बैंक भी शामिल हैं, जिनके लिये केंद्र सरकार द्वारा योजना का विस्तार किया गया है। इन बैंकों को निगम के साथ बीमित बैंकों के रूप में रजिस्टर किया गया है।

बीमित जमाकर्ताओं के संबंध में निगम की देयता निम्नलिखित मामलों में उत्पन्न होगी:

**अगर बैंक दीवालिया हो जाता है:** निगम सीधे या ऋणशोधक के माध्यम से प्रत्येक जमाकर्ता को उसकी बकाया राशि के भुगतान की व्यवस्था करेगा।

अगर कोई बैंक किसी अन्य बैंक के साथ पुनर्गठित या एकीकृत किया जाता है और पुनर्गठन या एकीकरण की योजना जमाकर्ता को उसकी पूरी जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं देती: तो निगम पुनर्गठित बैंक या एकीकृत बैंक को बीमा योजना के अंतर्गत जमाकर्ता को देय राशि और पुनर्गठन या एकीकरण की योजना के अंतर्गत उसे प्राप्त राशि के बीच का अंतर पुनर्गठित या एकीकृत बैंक को देने की व्यवस्था करेगा।

**डिपॉजिट इश्योरंस ऐंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, मुंबई (जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम, मुंबई)।**

## বেংক জমাকারী বাবে সুৰক্ষা

প্রতিজন জমাকারীর ক্ষেত্রে 5,00,000/- টাকা পর্যন্ত বেংক জমা ধন জমা বীমা আঁচনির অধীনত জমা বীমা আৰু ঋণ নিশ্চয়তা নিগমৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত। এই আঁচনিখনে ভাৰতত চলি থকা সকলো বাণিজ্যিক বেংক (আঞ্চলিক গ্রাম্য বেংককে ধৰি) আৰু লগতে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ সমবায় বেংকসমূহকে সামৰি লয়, যিবোৰলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আঁচনিখন সম্প্ৰসাৰিত কৰিছে। এই বেংকসমূহ নিগমৰ ওচৰত বীমা বেংক হিচাপে পঞ্জীয়নভুক্ত।

বীমাকৃত জমা ধনৰ ক্ষেত্ৰত নিগমৰ দায়বদ্ধতা তলত উল্লেখ কৰা ক্ষেত্ৰসমূহত উদ্ভৱ হ'ব :

**যদি কোনো বেংক লিকুইডেচনলৈ যায় :** নিগমে প্রতিজন জমাকারীক বীমা আঁচনিৰ অধীনত তেওঁৰ প্ৰাপ্য ধনৰাশি পোনপটীয়াকৈ বা লিকুইডেটৰৰ কৰিয়তে প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব।

যদি কোনো বেংকৰ পুনৰ গঠন বা আন বেংকৰ সৈতে একত্ৰিত কৰা হয় আৰু পুনৰ গঠন বা একত্ৰীকৰণৰ আঁচনিখনে জমাকারীক তেওঁৰ জমা ধনৰ সম্পূৰ্ণ ধনৰ বাবে ক্রেডিট লাভ কৰাৰ অধিকাৰ প্ৰদান নকৰে : বীমা আঁচনিৰ অধীনত জমাকারীক পাবলগীয়া ধন আৰু পুনৰ গঠন বা একত্ৰীকৰণ আঁচনিৰ অধীনত তেওঁ লাভ কৰা ঋণৰ পৰিমাণৰ মাজত থকা অভাৱৰ সমতুল্য ধন পুনৰ গঠন কৰা বেংক বা একত্ৰিত বেংকক নিগমে প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব।

**জমা বীমা আৰু ক্রেডিট নিশ্চয়তা নিগম, মুম্বাই।**